# एलीफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट 2023 का महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन

## प्रिलिम्स के लिये:

[एलीफेंट कॉरिडोर](), **विद्युत आघात,** प्रोजेक्ट एलीफेंट, [वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972,]() पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, हाथी संरक्षण।

## मेन्स के लिये:

विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप व उनके डिज़ाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, भारत के एलीफेंट कॉरिडोरों से प्रमुख निष्कर्ष, 2023 रिपोर्ट।

**स्रोत: डाउन टू अर्थ**

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित **"एलीफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट, 2023"** में कई विसंगतियों की पहचान की गई है।

## रिपोर्ट में देखी गई प्रमुख विसंगतियाँ:

- **कॉरिडोर/गलियारे की परिभाषा में विसंगतियाँ:** आलोचकों का तर्क है कि **कॉरिडोर का प्रारंभिक महत्त्व कम कर दिया गया है,** क्योंकि ऐसे किसी भी स्थान को जहाँ हाथी आवागमन करते हैं,**कॉरिडोर** के रूप में संदर्भित करना सामान्य प्रचलन हो गया है।
    - **इस रिपोर्ट में परिदृश्यों और आवासों को गलियारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है** तथा इसके बाद एलीफेंट कॉरिडोरों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **उत्तर और पूर्वोत्तर कॉरिडोर में विसंगतियाँ:** आलोचकों का तर्क है कि पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्र छोटे वन क्षेत्र होने के कारण हाथियों के लिये उपयुक्त हैं, लेकिन दक्षिण बंगाल में हाथियों के प्रवास वाले अधिकांश क्षेत्रों में [कृषि]() का प्रभुत्व है।
    - **रिपोर्ट में इन क्षेत्रों को अन्य हाथी परिदृश्यों से जोड़ने का प्रस्ताव है,** जो कॉरिडोर के मूल लक्ष्य से भिन्न है।
    - विस्तृत कॉरिडोर मानव-हाथी संघर्ष को बढ़ा सकते हैं।
- **हाथियों के लिये खतरा:** आलोचकों का तर्क है कि **हाथियों के क्षेत्र के विस्तार** के कारण [विद्युत के झटकों]() और कुओं में गिरने से हाथियों की मौत की घटनाएँ भी बढ़ी हैं।

## एलीफेंट कॉरिडोर पर प्रोजेक्ट एलीफेंट निर्देश:

- वर्ष 2005-06 में [प्रोजेक्ट एलीफेंट]() ने एलीफेंट कॉरिडोर के संबंध में राज्यों को निर्देश जारी किये। इसमें कहा गया है कि वन क्षेत्रों में कॉरिडोर को [वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972]() में उल्लिखित नियमों का पालन करना चाहिये।
    - इस बीच, राजस्व और निजी भूमि वाले क्षेत्रों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986]() का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया, संभावित रूप से लाल श्रेणी के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया।

//

| प्रजातियाँ | जहाँ पाई जाती हैं | IUCN रेड लिस्ट में दर्ज स्थिति | अधिवास |
|---|---|---|---|
| भारतीय | एशिया | संकटग्रस्त ( CITES - परिशिष्ट I, WPA - अनुसूची I ) | उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण शुष्क एवं नम पृथुपर्णी ( चौड़े पत्तेदार ) वन, घास के मैदान |
| सुमात्राई | एशिया | गंभीर संकटग्रस्त | उष्णकटिबंधीय नम पृथुपर्णी ( चौड़े पत्तेदार ) वन |
| सवाना ( बुश ) | अफ्रीका | संकटग्रस्त | मध्य अफ्रीका के घने उष्णकटिबंधीय वनों को छोड़कर पूरे उप-सहारा अफ्रीका में |
| अफ्रीकी वन्य हाथी | अफ्रीका | गंभीर संकटग्रस्त | घने उष्णकटिबंधीय वन |



## हाथी गलियारा (एलीफैंट कॉरिडोर):

- **परिचय:**
  - एलीफैंट कॉरिडोरों को **भूमि के एक खंड** के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो हाथियों को दो अथवा दो से अधिक अनुकूल आवास स्थानों के बीच आवागमन में सुलभता प्रदान करता है।
- **भारत के एलीफैंट कॉरिडोर से प्रमुख निष्कर्ष, 2023 रिपोर्ट:**
  - इस रिपोर्ट में **62 नए गलियारों की वृद्धि** पर प्रकाश डाला गया है, जो वर्ष 2010 के बाद से बने गलियारों में 40% की वृद्धि दर्शाते हैं। वर्तमान में **भारत में कुल 150 गलियारे मौजूद हैं।**
  - **पश्चिम बंगाल** में सबसे अधिक हाथी गलियारे हैं, जिनकी कुल संख्या **26** है, जो **कुल गलियारों का 17% है।**
    - **पूर्वी-मध्य क्षेत्र 35% (52 गलियारे)** का योगदान देता है तथा **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 32% (48 गलियारे)** के साथ दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।
    - **दक्षिणी भारत** में 32 हाथी गलियारे पंजीकृत हैं, जो कुल गलियारों का 21% है, जबकि **उत्तरी भारत** में सबसे कम 18 गलियारे हैं, जो कि कुल गलियारों का 12% हैं।
  - **महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र** और कर्नाटक की सीमा से लगे दक्षिणी महाराष्ट्र में हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है।
    - उनकी उपस्थिति **संजय टाइगर रिज़र्व और बांधवगढ़ के भीतर मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश में विस्तारित सीमाओं के साथ-साथ ओडिशा** से आवाजाही की अनुमति में भी बढ़ी है।

# हाथी अभयारण्य

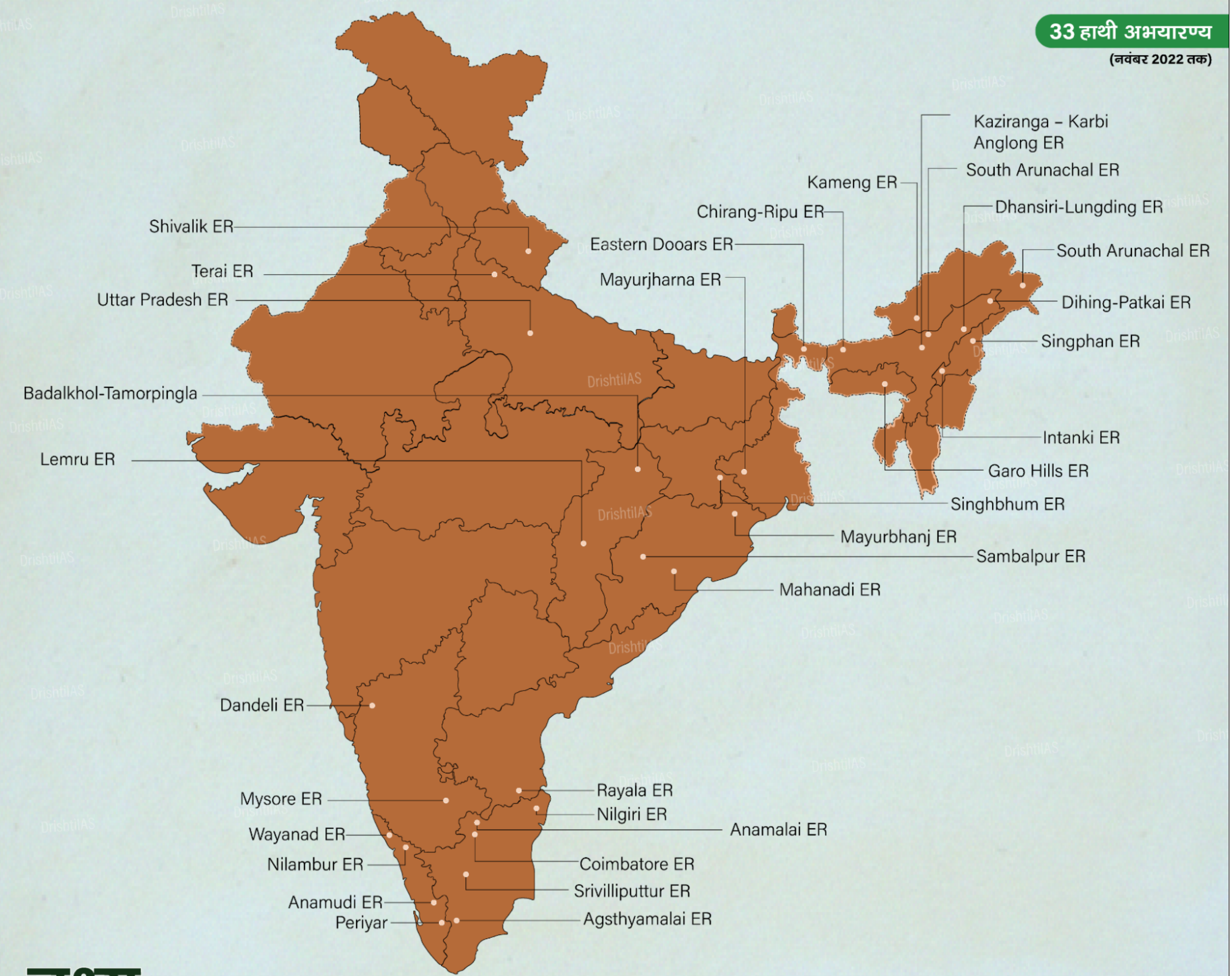


## तथ्य

- भारत में तमिलनाडु और असम में हाथी अभयारण्य/एलीफेंट रिज़र्व की संख्या सबसे अधिक (5) है।
- भारतीय हाथी *(Elephas maximus)* को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है।
- भारतीय हाथी को प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के परिशिष्ट I और IUCN रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय/संकटग्रस्त' (Endangered) के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।
- वर्ष 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था।
- MoEFCC हाथी परियोजना/प्रोजेक्ट एलीफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। हाथी परियोजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

***??????????:***

**भारतीय हाथयियों के संदर्भ में नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)**

1. हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है।
2. हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है।
3. सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है।
4. भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीवसंख्या केरल में है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 3
(d) केवल 1, 3 और 4

**उत्तर: (a)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/critical-evaluation-of-elephant-corridor-report-2023